

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 6(6)प्राशि/2011

जयपुर, दिनांक: 11/5/12

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,  
बाकागेर।

RTE  
3  
17/5

Pub up  
cc.

विषय: अनिवार्य एवं नि:शुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप  
प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के क्रम में।

संदर्भ: आपका पत्रांक: शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/11-12/403  
दिनांक 17.4.12

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि भारत  
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बीएलओ के रूप में तभी  
नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बीएलओ के कार्य  
एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा  
बीएलओ का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित बि:ये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप  
में निष्पादित करना है। अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के  
दिनों में बीएलओ के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव  
नहीं पड़े। इसके लिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

P.S.C.  
Attested

सहायक निदेशक (आर.टी.ई.)  
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

भवदीय,

शासन उप सचिव